कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0

संख्या–एमई–3 / यूजी2018 / 3441 लखनऊ:दिनांक: 31-10-2018

सिक्योरिटी धनराशि वापसी के संबंध मे आवश्यक सूचना

यू0पी0 नीट–2018 के अन्तर्गत **निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो मे प्रवेशित अभ्यर्थियो** को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियो द्वारा जमा किये गये सिक्योरिटी धनराशि संबंधी बैंक ड्राफ्ट प्रवेशित कालेज के माध्यम से प्राप्त कराये जायेंगे :–

- निजी क्षेत्र के मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फर नगर, राजश्री इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बरेली एवं सरस्वती इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज, हापुड़ को छोड़कर शेष समस्त मेडिकल कालेजो में प्रवेशित अभ्यर्थियो की सिक्योरिटी धनराशि संबंधी बैंक ड्राफ्ट कालेज के प्रतिनिधि को उपलब्ध कराये जा चुके है। प्रवेशित अभ्यर्थी अपने सिक्योरिटी ड्राफ्ट संबंधित कालेज से प्राप्त कर सकते है।

- कतिपय अभ्यर्थियों के बैंक ड्राफ्ट के संबंध मे नोडल सेन्टर से स्थिति स्पष्ट न होने के कारण बैंक ड्राफ्ट भेजा जाना सम्भव नहीं हो सका है, जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी बैंक ड्राफ्ट संबंधित कालेज को प्रेषित कर दिये जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थियो की सूची कालेजो को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

- कतिपय अभ्यर्थियों के बैंक ड्राफ्ट विभागीय खाते मे जमा हो जाने के कारण संबंधित अभ्यर्थियों की सिक्योरिटी धनराशि उनके खाते मे नेफ्ट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ऐसे अभ्यर्थियो की सूची भी कालेजो उपलब्ध करायी जा चुकी है।

महानिदेशक।